

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

प्रेषक,

उप महानिरीक्षक (प्र0)
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 2016

विषय:-राज्य की काराओं में परिधापकों के पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन (फोटोयुक्त पहचान-पत्र आदि से), प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु सूचना का प्रकाशन।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य की काराओं में परिधापक के पद पर नियुक्ति हेतु (विज्ञापन संख्या-05/2015) केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) बिहार, पटना द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन (फोटोयुक्त पहचान-पत्र आदि से), प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने संबंधी सूचना की पाँच प्रति (सी.डी. के साथ) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दिनांक-23.10.2016 तक अथवा इसके पूर्व हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से करने की कृपा की जाये।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

उप महानिरीक्षक (प्र0),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/स्था0 (अरा0) 01-11/2014 (पार्ट-II) 6317 दिनांक- 15-10-2016
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप महानिरीक्षक (प्र0),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

राज्य की काराओं में विज्ञापन संख्या-05/2015 द्वारा "परिधापक" के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक-29.10.2016 को आयोजित प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने के संबंध में।

राज्य की काराओं में विज्ञापन संख्या-05/2015 द्वारा "परिधापक" के पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा दिनांक-28.08.2016 को आयोजित लिखित परीक्षा में सफल 48 अभ्यर्थियों का फोटोयुक्त पहचान-पत्र सत्यापन, प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं प्रायोगिक परीक्षा दिनांक-29.10.2016 को पूर्वाह्न 09:30 से अपराह्न 05:30 बजे तक आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के परिसर में नव निर्मित कक्षपाल बैरक में किया जायेगा, जिनका अनुक्रमांक निम्नरूप में तालिकाबद्ध है :-

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3511010022 | 3511010042 | 3511010097 | 3511010147 | 3511010149 | 3511010158 |
| 3511010283 | 3511010377 | 3511010395 | 3511010410 | 3511010429 | 3511020005 |
| 3511020017 | 3511020041 | 3511020046 | 3511020107 | 3511020120 | 3511020127 |
| 3511020128 | 3511020183 | 3511020235 | 3511020265 | 3511020272 | 3511020289 |
| 3511020316 | 3511020321 | 3511020331 | 3511020340 | 3511020389 | 3511020414 |
| 3511020426 | 3511020444 | 3511020455 | 3511020473 | 3511020489 | 3511030003 |
| 3511030104 | 3511030136 | 3511030167 | 3511030172 | 3511030188 | 3511030189 |
| 3511030210 | 3511030216 | 3511030220 | 3511030228 | 3511030295 | 3511030327 |

2. उपरोक्त अनुक्रमांक के सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/कागजात की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे :-

- (क) केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- (ग) तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
- (घ) मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष का मूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)
- (ङ) जाति प्रमाण पत्र (अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के लिए)
- (च) जाति-सह-क्रीमिलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
- (छ) बिहार राज्य के स्थाई निवासी होने से संबंधित प्रमाण पत्र
- (ज) सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 05/2015 में वर्णित सभी शर्तों एवं प्रावधानों को संपुष्ट करना अनिवार्य होगा
- (झ) फोटो युक्त पहचान पत्र
- (ञ) दो पासपोर्ट साइज फोटो (नवीनतम)


3. उपरोक्त अनुक्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों की जाँच में उक्त से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य लायें।

4. उपरोक्त अनुक्रमांक के सभी अभ्यर्थी निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हों, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह अंतिम अवसर होगा तथा इसमें कोई तिथि विस्तार नहीं किया जायेगा। उक्त जाँच में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-व्यय देय नहीं है।

5. विहित कार्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट समय एवं तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. किसी भी स्तर पर गलत/झूठी सूचना अथवा जानकारी दिये जाने पर पात्रता रद्द की जा सकेगी।

7. उक्त सभी सूचनाएँ कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के वेबसाइट- http://www.home.bih.nic.in/Prisons/home_prison.htm पर उपलब्ध है।


उप महानिरीक्षक (प्र०),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।